फिजुल खर्ची बचाने परिचय सम्मेलन का आयोजन

दुर्ग (नवप्रदेश)

मारवाड़ी मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज दुर्ग के विवाह योग्य युवक -युवतियों के परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन शिवनाथ नदी रोड दुर्ग स्थित मांगलिक परिसर आनंद मंगलम् मे संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरूवात स्वर्णकार समाज के देवपुरूष महाराजा श्री अजमीढ़ देव जी महाराज की पूजा एवं दीप प्रज्जवलन के साथ हुई समाज की महिला इकाई द्वारा श्री गणेश वंदना एवं कन्याओं के द्वारा श्री अजमीढ़ देव जी की आरती की अतिसुंदर प्रस्तुति दी गई । छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों से आये जिन अध्यक्षों सहित संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों से आये जिला अध्यक्षों को भी मंच पर विराजित व सम्मानीय किया गया । आयोजन में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा , राजस्थान मराराष्ट्र , उड़ीसा दिल्ली सहित अन्य राज्यों के भी सामाजिक बन्धुओं ने भाग लिया । सम्मेलन में खास बात यह भी रही कि अतिथि के रूप में समाज के वरिष्टजन एवं पदाधिकारी ही उपस्थित थे और उन्होने लोगों को संबोधित व प्रोत्साहित भी किया ।

कार्यक्रम को स्वर्णकार समाज दुर्ग के अध्यक्ष चंपालाल सोनी कूकरा ने संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया , जिसमें समाज के लोगों ने बढ़-चढ कर हिस्सा लिया और ऐतिहासिक भागीदारी निभाई है। ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है और एकता प्रदर्शित होती है संरक्षक मोतीलाल जी सोनी कड़ेल ने अपने संबोधन में इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज के लोगों पर-वधु का चयन करने में सुविधा होगी और फिजूलखर्ची को राका जा सकेगा । परिचय सम्मेलन में विवाह योग्य लगभग 200 युवक -युवतियों के बाडोडाटा आये थे । जिन्हे मंच पर लगाई गई एल.ई.डी . स्कीन पर बेहद की आकर्षण व व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया गया जो कि संपूर्ण भारत में पहली बाद था । जिसे कार्यक्रम में आये सामाजिक बन्धुओं एवं परिवारजनों ने भी सराहा और अपना सहयोग भी दिया कार्यक्रम के सफल आयोजन में दुर्ग में लादुराम कुकरा लक्ष्मीनारायण जवड़ा ,इंदरचंद बैराड़िया नेमीचंद कुकरा, दिनेश रूण्डवाल राजा रूण्डवाल अशोक कुकरा श्याम जवड़ा, शामिलाल कुकरा, मनीष कुडेल मदनलाल कड़ेल ताराचंद कड़ेल सत्यारायण कड़ेल जेठमल कडेल गुलाबचंद मोसूण भिखमंचद कुकरा विरजीलाल रूण्डवाल , तेतपाल रूण्डवाल भागवत मोसूण लक्ष्मण कुकरा विजय कुमार आसट डूंगरमल जवड़ा रायपुर से प्रहलाद कुकरा इंदरचंद कुडेंल पुखराज मायच्छ मोहनलाल कुकरा मदनलाल देवाल प्रिंस कुकरा चेतन कुकरा धनश्याम कुकरा रधुनाथ रोड़ा कैलाश सोनीवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे कार्यक्रम का मंच संचालन अशोक लक्ष्मण सोनी कूकरा दुर्ग के द्वारा किया गया , आभार प्रदर्शन रमेश सोनी कूकरा धमतरी वालों ने किया ।

अगले चुनाव में करे परिवर्तन : मध्यानी

दुर्ग (नवप्रदेश)। जनता कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रताप मध्यानी ने वार्ड क्रमांक 35 के बांधा तालाब क्षेत्र में महिलाओं की बैठक ली और उन्हे अगले विधान सभा चुनाव में परिवर्तन का संदेश फैलाने का निर्देश दिया श्री मध्यानी ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा के कार्यकाल से प्रदेश की जनता हताश और निराश हो चुकी है और बदलाव चाहती है श्री मध्यानी ने महिलाओं से कहा कि वे अपने अपने परिचित व समाज के लोगों के बीच जाए और उन्हे बताए और पुछे कि यह आत्म चिन्तन का विषय है कि कांग्रेस व भाजपा के जन प्रतिनिधियों से शहर जनता को क्या मिला है श्री मध्यानी से यह भी कहा है कि प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इसी हालात में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के रूप में नई पार्टी लेकर आए है वे लगातार दौरा कर रहे है और पुरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। राज्य को अब क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है इस अवसर पर वार्ड पार्षद भुवनेश्वरी साहू उषा निर्मलकर निर्मला साहू रेखा साहू दुर्गा पटेल शमिला टंडन ममता यादव राजकुमारी साहू कौशल्या पटेल के साथ भारी संख्या में लोग मौजुद थे।

लोक सुराज में ंएक दिन का सीएम बनने आवेदन

दुर्ग (नवप्रदेश)। लोक सुराज अभियान का पहला दिन अपेक्षा के अपुरूप उत्साह जनक नहीं रहा नगर निगम के मुख्यालय के शिविर में दोपहर तीन बजे तक महज 23 आवेदन पहुंचे थे । मुख्यालय के बाहर शहर के पुरानी मंडी प्रांगण शनिचरी बाजार व गया नगर में श्रमिक बहुल क्षेत्र होने के कारण राशन कार्ड स्मार्ड कार्ड सायकल सिलाई मशीन उज्ज्वला गैस सहित अन्य आवेदन आए इन क्षेत्रों की शिविरों मे आवेदन लेकर पहुचने वालो की संख्या ज्यादा थी कसारीडीह में पार्षद प्रकाश गीते ने एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का आवेदन दिया है। लोक सुराज अभियान में इस बार आवेदन करने वालों को आधार कार्ड मोबाइल नंबर सहित अन्य अनिवार्यता लागु की गई थी इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंच नहीं पाई थी सभवतः पहला दिन इसी कारण उत्साह जनक नहीं रहा लोक सुराज में राशन कार्ड लेने वाले ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे शादी शुदा होकर अलग रह रहे थे ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2017-18
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक हेमंत कुमार वर्मा आ . हिंछाराम वर्मा साकिन कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न. 19 अ रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नंबर 845 का टुकड़ा रकबा 0.02 हें =2400 वर्गफीट को रजिस्टर्ड बैनामाके माध्यम से बिपत यादव आ./ ध.प. धनेश से क्रय किया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.01.2018 तक या उसके पूर्व स्वयं आ अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 02.01.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2017-18
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक सक्षम सूद आ योगेश सुद साकिन नेहरू नगर पूर्व भिलाई द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न. 19 अ रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नंबर 107/1 का टुकड़ा रकबा 0.03 को रजिस्टर्ड बैनामाके माध्यम से संजीव कुमार व अन्य आ./ध.प. स्व. रधुवीर सिंह से क्रय किया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.01.2018 तक या उसके पूर्व स्वयं आ अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 02.01.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2017-18
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती पूजा पाण्डेय आ. राजाराम पाण्डेय साकिन प्रगति नगर कुरूद द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न. 19 अ रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नंबर 845 का टुकड़ा रकबा 0.005 हें को रजिस्टर्ड बैनामाके माध्यम से बिपत यादव आ./ ध.प. धनेश से क्रय किया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.01.2018 तक या उसके पूर्व स्वयं आ अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 02.01.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2017-18
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती अप्पल भकुला सुन्दरि ध.प.डॉ आ. सनदा चारि साकिन स्मृति द्वारा भिलाई ग्राम कुरूद प.ह.न. 19 अ रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नंबर 107/1 का टुकड़ा रकबा 0.04 को रजिस्टर्ड बैनामाके माध्यम से संजीव कुमार व अन्य आ. रधुवीर सिंह से क्रय किया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.01.2018 तक या उसके पूर्व स्वयं आ अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 02.01.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय नायब तहसीलदार
अहिवारा ,तहसील धमधा जिला, दुर्ग
रा.प्र.क्र./ /अ-06 /17-18
उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि आवेदिका / क्रेता श्रीमती सरोज श्रीवास्तव पति अशोक श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासी कैलाश नगर कुम्हारी तहसील धमधा , जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा ग्राम कुम्हारी प.ह.न. 53 तहसील धमधा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1460/60 रकबा 0.007 हें . 705 वर्गफीट परि.लगान 0.07 पैसा भूमि को विक्रेता श्रीमती रूत मेरी जार्ज पति स्व. जान विक्टर सिंग जाति ईसाई निवासी रेलवे कॉलानी जोन 03 चरोदा तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. से रजिस्टर्ड विक्रय - पत्र दिनांक 13 मई 2014 को क्रय किया है । उक्त भूमि को रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका / क्रेता स्वयं के पक्ष प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन -पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि का किसान किताब जारी किये जाने पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 15.02.2018 तक पेश कर सकते हे नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
अहिवारा

न्यायालय नायब तहसीलदार
अहिवारा ,तहसील धमधा जिला, दुर्ग
रा.प्र.क्र./ /अ-06 /17-18
उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि आवेदकगण रामनारायण वर्मा पिता स्व. रिखीराम वर्मा एवं अन्य 07 निवासी ग्राम लिमतरा तहसील धमधा जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा ग्राम लिमतरा प.ह.न. 50 रा.नि.मं. अहिवारा तहसील धमधा एजिला दुर्ग में स्थित भूमि ख . नंबर 201,443 रकबा 0.75,0.42 हें भूमि जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में नीलकंठ पिता केदार रिखीराम पिता फुलसिंह के नाम पर दर्ज हे उक्त आवेदित भूमि के खातेदार रिखीराम पिता फुलसिंह की मृत्यु 15.03.2013 को हाने से फौती दर्ज कर मृत खातेदार का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख से विलोपित कर आवेदक - पत्र स्वयं वैध वारिसानों के नाम नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन -पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन - पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि का किसान किताब जारी किये जाने पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 15.02.2018 तक पेश कर सकते हे नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
अहिवारा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2017-18
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक किशोर सावरकर आ स्व. नारायण राव सावरकर साकिन शांति नगर कोहका द्वारा ग्राम शांतिनगर कोहका प.ह.न. 14 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख. नंबर 6479 (टु 6399/1) रकबा 1500 वर्गफीट हे जो उसके स्व माता श्रीमती कमला बाई के नाम पर दर्ज की फौती दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2018 तक या उसके पूर्व स्वयं आ अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग
रा.प्र.क्र./ 523/अ-6 /17-18
उद्घोषणा

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक हरिशंकर गौतम पिता पतराम गौतम निवासी ग्राम से-4 भिलाई तहसील व जिला ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नंबर 37/16 का भाग रकबा 0.013 हें भूमि को विक्रेता शाता बाई पति शंकर लाल श्रीरामवार निवासी ग्राम दीपक नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14/12/2017 को को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 24/01/2018 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह उद्घोषणा आज दिनांक 08-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

तहसीलदार
दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार
भिलाई 03 , जिला दुर्ग
रा.प्र.क्र. 05/अ-05 वर्ष 2017-18
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक /आवेदिका केवल राम के तरफ से अन्य मु. दिलीप हिन्दुआ पिता ---------- निवासी न्यू शन्ति नगर रायपुर तह. व जिला रायपुर ग्राग चरोदा प.ह.न. 57 खसरा नंबर 46 3 /34 रकबा पुराना रकबा 0.08 4 नया रकबा 0.056 हें 0.028 कम हो गया है बंदोबस्त त्रुटि सुधार बातत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23-01-2018 तक स्वयं अथवा अपने के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थि होकर लिखित आवेदन पेश कर सकते हैं । समयावधि पष्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 08 -01-2018 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
भिलाई -03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग
जिला-दुर्ग
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र. 505/अ-06/2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय कुमार कोसरे पिता दीनानाथ कोसरे निवासी ग्राम आदित्यनगर दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 43/18 रकबा 0.022 हे. भूमि को विक्रेता नोहरदास साहू पिता स्व. रामदयाल साहू निवासी ग्राम शिवाजी नगर, हरिनगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 08.12.17 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06.01.18 को यह उद्घाषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दि. 06.01.18
सुनवाई दि.29.1.18
मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग
जिला-दुर्ग
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र. 488/अ-06/2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रोमेश कुमार टावरी पिता हरिशंकर टावरी निवासी ग्राम गंजपारा वार्ड 35 दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पुलगांव तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 210/1/2 (210/2,3, 148/5,24)/2 का टु. रकबा 0.012 हे. भूमि को विक्रेता बसंत कुमार पिता स्व. चम्पालाल जी कटारिया निवासी ग्राम ऋषभनगर कसारीडीह से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 5.5.17 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.18 को यह उद्घाषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दि. 02.01.18
सुनवाई दि.18.1.18
मुहर
तहसीलदार
दुर्ग

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 327/17-18
वार्ड का नाम- सिविल लाईन-42

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सिविल लाईन-42 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 42/1520 श्याम नगर जो कि निगम अभिलेख में श्री सरदार भाग सिंग s/o उजागर सिंग के नाम से दर्ज है, जिसको श्री (1) कुलवंत सिंग तनेजा (2) श्री हरिजिन्दर सिंग पिसरान स्व. भाग सिंग तनेजा (3) श्री अमरपाल सिंग s/o सुखदेव सिंग तनेजा रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com
आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी कबीर नगर रायपुर में निर्मित दीनदयाल योजना में से भवन /भूखण्ड क्र. एलआईजी-26/305 में श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पिता श्री स्व. पूरनलाल अग्रवाल को स्ववित्तीय/एकमुश्त/ आफर आधार पर आबंटित किया गया है। उनके द्वारा दि. 28.7.09 को लीजडीड/ सेलडीड/ विक्रय विलेख पंजीकृत करा लिया गया है। मूल आबंटी द्वारा उक्त भवन श्री राजीव अमरपुरी पिता श्री स्व. कृष्ण कुमार अमरपुरी के पक्ष में दिनांक 31.10.17 को विक्रय कर दिया।

तदउपरांत क्रेता द्वारा उक्त भवन/ भूखण्ड अपने नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति, सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखण्ड क्रेता श्री राजीव अमरपुरी पिता श्री स्व. कृष्ण कुमार अमरपुरी के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशित की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मामला क्रमांक / अ-6/2017-18
उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विशाल साहू पिता सुखराम निवासी भटगांव तह. दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम भटगांव प.ह.नं. 09 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 396/3, रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता अनुज पिता उदेराम के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 24.01.18 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09.1.18 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मामला क्रमांक / अ-6/2017-18
उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक टीकाराम निषाद आ. स्व. मंथीर निषाद निवासी पीसेगांव तह. दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा अपने माता बेदिया बाई निषाद की मृत्यु दिनांक 07.08.1993 को हो चुकी है, उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया है, जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 17.01.18 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज दिनांक 02.01.2018 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मामला क्रमांक / अ-6/2017-18
उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कोठारी अन्य पिता/पति डूंगरमल साकिन पुलगांव तह. दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम पुलगांव प.ह.नं. 25 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 220/3 टु. रकबा 0016 हेक्टेयर भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता नंदकुमार पिता/पति काशीराम के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 15.01.18 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज दिनांक 24.12.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मामला क्रमांक / अ-6/2017-18
उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक साई बिल्डर्स- आशीष पालीवाल पिता टीकमचंद जी पालीवाल साकिन महेश कालोनी, पुलगांव दुर्ग तह. दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम सिकोला प.ह.नं. 08 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 294/80 रकबा 0.022 हेक्टे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता मनोज कुमार पिता नंदकुमार वर्मा के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 29.01.18 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज दिनांक 09.01.18 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मामला क्रमांक / अ-6/2017-18
उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेस. के.पी. सनोट कन्स प्रा.लि. डायरेक्टर संजय रामचंदानी अन्य 1 पिता केशव रामचंदानी साकिन इन्दौर तह. दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम अरसनारा प.ह.नं. 11 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 414/2, 414/3, 414/6 रकबा 0.050, 0.350, 0.050 हेक्टे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता अजय कुमार अग्रवाल पिता शिवकुमार अग्रवाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 29.01.18 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज दिनांक 10.01.18 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग
जिला-दुर्ग
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र. 487/अ-06/2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती नेहा टावरी पति कमलेश टावरी निवासी ग्राम गंजपारा दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पुलगांव तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 210/1/2 (210/2,3, 148/5,24)/2 का टु. रकबा 0.014 हे. भूमि को विक्रेता बसंत कुमार पिता स्व. चम्पालाल जी कटारिया निवासी ग्राम कसारीडीह से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 5.5.17 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.18 को यह उद्घाषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दि. 02.01.18
सुनवाई दि.18.1.18
मुहर
तहसीलदार
दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र./286 /अ-2 /17-18

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विनोद कुमार चोपड़ा आ. श्री देवराज चोपड़ा निवासी-खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम कातुलबोड़ प.ह.नं. 20 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 56 /65, 56 /86 रकबा 0.041+ 0.018= 0.059 हे. / 6435 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 326/17-18
वार्ड का नाम- लालबहादुर शास्त्री-33

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुरशास्त्री-33 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 33/166 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती दुखिन बाई w/o स्व. दुलार सिंह सिन्हा के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती कृष्णा गजेन्द्र D/o मंशाराम सिन्हा रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com
आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी बीरगांव रायपुर में निर्मित भाड़ाक्रय योजना में से भवन /भूखण्ड क्र. ए-23 में चितरंजन कर पिता श्री रामानंद कर को भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया है।

मूल आबंटी द्वारा उक्त भवन/भूखण्ड श्री मुरारीलाल गोयल (अग्रवाल) पिता श्री मोतीलाल गोयल के नाम पर नामांतरण करने हेतु श्री मुरारी गोयल द्वारा दिया गया शपथ पत्र, (नोटरी द्वारा सत्यापित) विक्रय इकरारनामा एवं मुख्यालय का पत्र क्र. 39 दिनांक 06.01.2018 द्वारा परिपत्र 08 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखण्ड श्री मुरारीलाल गोयल (अग्रवाल) पिता श्री मोतीलाल गोयल के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशित की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 320/17-18
वार्ड का नाम- गुरूघासी दास-44

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास-44 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 44/नया (गली नं.2) जो कि निगम अभिलेख में श्री प्रकाश रावतानी s/o स्व. दीपचंद, श्री रवि, राकेश, अमित, नीलाम पिसरान स्व. माधवदास रावतानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती कमला धीरानी w/o सुनील धीरानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 321/17-18
वार्ड का नाम- गुरूघासी दास-44

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास-44 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 44/नया जो कि निगम अभिलेख में श्री भजनसिंह होरा s/o स्व. हरबंश सिंह होरा के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती उर्मिला डोडेजा w/o जुगल किशोर डोडेजा रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 322/17-18
वार्ड का नाम- गुरूघासी दास-44

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास-44 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 44/नया जो कि निगम अभिलेख में श्री भजनसिंह होरा s/o स्व. हरबंश सिंह होरा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री जुगल किशोर डोडेजा s/o स्व. पी.एल. डोडेजा रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 323/17-18
वार्ड का नाम- गुरूघासीदास-44

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरूघासीदास-44 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 44/नया (गली नं.-3) जो कि निगम अभिलेख में श्री हेमंत दास s/o विशन दास के नाम से दर्ज है, जिसको श्री कृष्ण कुमार मनुजा s/o स्व. हेमंत दास रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 324/17-18
वार्ड का नाम- कालीमाता-30

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमाता-30 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 30/834 अशोक बिहार जो कि निगम अभिलेख में श्री विमल लूथरा s/o स्व. श्रीराम लूथरा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री आकाश लूथरा s/o अरुणकुमार लूथरा रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com
//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 325/17-18
वार्ड का नाम- लालबहादुर शास्त्री-33

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुरशास्त्री-33 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 33/166 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती दुखिन बाई w/o स्व. दुलार सिंह सिन्हा के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती कौशिल्या सिन्हा w/o भागवत सिन्हा रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 12.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर